

कार्यालय आदेश

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 25 (1) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशांथानुसार निम्नांकित अमीनों को वर्ष 2013-14 की निरीक्षक की रिक्तियों के विरुद्ध निरीक्षक के पद पर वेतनमान 9300-34800 पे ग्रेड-1 ग्रेड पे-11 (3200) 30.6.2013 तक एवं 1.7.2013 से ग्रेड पे-11 (3600) में पदोन्नति हेतु चयनित किया गया है।

उक्तानुसार निरीक्षक के पद पर चयनित किये जाने पर इनका निरीक्षक के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन इनके नाम के समक्ष अंकित विवरणानुसार किया जाता है :-

| क्र सं. | नाम लोकसेवक सर्व श्री      | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम | निरीक्षक के पद पर पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन कार्यालय का नाम |
|---------|----------------------------|----------------------------------|---|
| 1       | 2                          | 3                                | 4   |
| 1       | अब्दुल अजीज पुत्र अजीम खां | वन बंदोबस्त अधिकारी, जयपुर       | वन बंदोबस्त अधिकारी, जयपुर                                  |
| 2       | कजोड मल पुत्र केसा राम     | उप वन संरक्षक, झुन्झुनू          | मुख्य वन संरक्षक, अजमेर                                     |

उक्त पदोन्नत लोकसेवक दिनांक 31.1.2014 तक पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे तो उसकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त कर दी जावेगी।

६३  
(सिहुल कुमारे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक 22 जनवरी, 2014

क्रं. एफ 15(25)78/गोप्र/प्रमुखस/ 5928-38/14

✓ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि नियंत्रणाधिकारी संबंधित लोकसेवक को पदोन्नति पर उपस्थिति देने हेतु दिनांक 25.1.2014 तक भारमुक्त करें एवं नवीन पदस्थापन कार्यालय से संबंधित अधिकारी पदोन्नति पर लोकसेवक द्वारा दी जाने वाली उपस्थिति तिथि से इस कार्यालय को अवगत करावें :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/जयपुर
3. उप वन संरक्षक, झुन्झुनू
4. वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
5. सर्व श्री ..... द्वारा.....
6. अध्यक्ष, तकनीकी कर्मचारी संघ, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. कार्मिक-स्ट्रेथ/अधीनस्थ अनुभाग, कार्यालय हाजा/रक्षी पत्रावली

(प्रवीरामटके)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजस्थान, जयपुर